कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़

संख्यार प्रशासनII/ले.प./2013-13/65 दिनांक 14.06.2014

कार्यालय आदेश

विषयः सोशल इलैक्ट्रानिक मीडिया पर कार्यालय तथा अप्राधिकृत जानकारी की सूचना।

मुख्याललय ने अपने पत्र संख्याथ: 169/3-पी.पी.जी./2012 दिनांक 22.05.2012 द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

1. कुछ सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालयीन कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उनके द्वारा विचार किए जाने वाले मामलों पर सामाजिक मीडिया जैसे 'फेसबुक' ट्वीटर आदि पर टिप्पणियां, विचार या राय को पोस्ट कर रहे हैं या अपनी कार्यालयीन नियुक्ति का फायदा उठाते हुए उनके पास आने वाली कार्यालयीन सूचना प्रकट कर रहे हैं। यदि निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति , किसी सरकारी कर्मचारी विशेष की टिप्पणी, विचार इत्यादि को विभाग के विचारों के रूप में भेजने का प्रयास करते हैं तो ऐसी टिप्पणियां, विचार, राय आदि विभाग के लिए विकट परिस्थिति तथा कानूनी उलझन सृजित करने के खतरे से पूर्ण है।

2. ऐसी इलैक्ट्रानिक मीडिया साइट पर कोई भी व्यक्ति अपने विचार पोस्ट कर सकता है तथा हर कोई उन विचारों को देखने तथा पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए सूचना , टिप्पणियां, विचारों आदि को पोस्ट करना, प्रैस में प्रकाशित करने जैसा है।

3. इसीलिए, सक्षम प्राधिकारी ने मामले पर गंभीरता से विचार किया है। तदनुसार , कार्यालयीन अवधि के दौरान सोशल नेटवर्क प्लेटफार्म जैसे 'फेसबुक' 'ट्वीटर' आदि का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को पब्लिक डोमेने में कार्यालय संबंधी मामलों से संबंधित ऑनलाइन टिप्पणियों को पोस्ट न करने की सलाह दी जाती है। इन निर्देशों की अनुपालना न करने पर 'आचरण नियम' के अनुसार विभागीय कार्रवाई करते हुए गंभीरता से विचार किया जाएगा।

हस्ता/-
वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)

संखयाः प्रशासन-II/ले.प./2012-13/781-85 दिनांकः 14.06.2014

सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति प्रेषित की जाती हैः

1. सभी समूह अधिकारी/शाखा अधिकारी
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार
3. सभी अनुभाग
4. नोटिस बोर्ड
5. कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु संबंधित कर्मचारी।

हस्ता/-
लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)